निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड

मि0नं0 27/अपील/18 तारीख दायरा 15.06.2018

उनवान अपील

01. मोहनलाल आ0 कंवरलाल तेली राठोर, निवासी माथनिया तहसील पिड़ावा
02. गोरधन आ0 कंवरलाल तेली राठोर, निवासी माथनिया तहसील पिड़ावा
03. श्यामलाल आ0 कंवरलाल तेली राठोर, निवासी माथनिया तहसील पिड़ावा
04. रामबाबू आ0 कंवरलाल तेली राठोर, नि0 माथनिया तहसील पिड़ावा (अपीलार्थीगण)

बनाम

01. सीताराम आ0 नानूराम मेघवाल नि0 माथनिया हाल नि0 खारपांकला तहसील पिड़ावा
02. भागीरथ आ0 नानूराम मेघवाल नि0 माथनिया हाल नि0 हीरियाखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
03. बदरीलाल आ0 नानूराम मेघवाल नि0 माथनिया हाल नि0 हीरियाखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
04. प्रेमबाई आ0 नानूराम मेघवाल नि0 पुरागैलाना तहसील पिड़ावा
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा (प्रत्यर्थीगण)

अपील बनाराजी निर्णय न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 11.01.2018 मिसल न0 4/2016 सीताराम बनाम मोहनलाल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री सुदामा राठोर, अभिभाषक अपीलान्ट्स
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 16.07.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 11.01.2018 जो मिसल न0 04/2016 पर पारित किया जाकर ग्राम माथनिया की आराजी ख0न0 827 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि की भूमि पर से बेदखल करने व 221/–रू0 की पेनल्टी आरोपित करने के निर्णय से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत व पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नही दिया है कि प्रार्थीगण रहे व्यक्तियों ने अपने प्रा0पत्र में तथ्यों के घटने का समय,स्थान वर्णित नही किया है,प्रार्थीगण न तो ग्राम माथनिया में रहते है तथा नही वे काश्तकार ही हैं। आराजी के सम्बन्ध में विवाद की पुष्टी के संबंध में किसी प्रकार के अपराध की पुष्टी किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद से नही होती है। प्रार्थी या किसी प्रकार से साक्षियों को परिक्षित नही कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर नियमों के आलोक में प्रकरण को विधिवत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 1 लगायत 4 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका रेस्पो0 5 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए ।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत व पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अधिनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नही दिया है कि प्रार्थीगण रहे व्यक्तियों ने अपने प्रा0पत्र में तथ्यों के घटने का समय,स्थान वर्णित नही किया है,प्रार्थीगण न तो ग्राम माथनिया में रहते है तथा नही वे काश्तकार ही हैं। आराजी के सम्बन्ध में विवाद की पुष्टि के संबंध में किसी प्रकार के अपराध की पुष्टि किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद से नही होती है। प्रार्थी या किसी प्रकार से साक्षियों को परिक्षित नही कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर नियमों के आलोक में प्रकरण को विधिवत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा होना स्वीकार किया गया है रेस्पो0 जाति से मेघवाल है जो अनुसूचित जाति है और उनकी आराजी पर अनाधिकृत कब्जा होने पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। सर्व प्रथम अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अंकन कि ''अधिनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नही दिया है कि प्रार्थीगण रहे व्यक्तियों ने अपने प्रा0पत्र में तथ्यों के घटने का समय,स्थान वर्णित नही किया है,प्रार्थीगण न तो ग्राम माथनिया में रहते है तथा नही वे काश्तकार ही हैं।'' सही नही है क्यों कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रा0पत्र के पेरा न0 2 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वर्णित आराजी पर गत 1 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया, ग्राम माथनिया में रहने या नही रहने से प्रार्थीगण के हक उस आराजी पर से समाप्त नही हो जाते हैं। इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसार धारा 183 ख से कमजोर वर्ग को शीघ्र राहत हेतु प्रकिया को सरल संक्षिप्त और कठोर बनाया गया है, उक्तानुसार आवेदन प्राप्ति पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात सक्षिप्त (सरसरी) रूप में की जायेगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाब प्रा0पत्र प्राप्त किया जाना पटवारी से रिपार्ट लिया जाना व पक्षकारान द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत किया जाना साबित है, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रा0पत्र के पेरा न0 6 में अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा होना स्वंय स्वीकार किया गया है और कब्जा स्वीकार कर लेने पर पक्षकारान की साक्ष्य लिया जाना आवश्यक भी नही है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी में स्पष्ट किया गया है इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने अनुसुचित जाति अथवा अनुसुचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है,उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर, जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों ,बेदखली का दायी होगा। इस प्रकार तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर से बेदखली का जो आदेश दिया गया है उचित है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर अपील के माध्यम से अपीलान्ट को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़